न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 224/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मगराज पुत्र हरदेव राम जाति माली निवासी चौपासनी, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 2– लिखमाराम पुत्र गोपाराम जाति माली निवासी सिंधियो की ढाणी, (रामपुरा भाटियान) तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 3– जैनाराम पुत्र गोपाराम जाति माली निवासी सिंधियो की ढाणी (रामपुरा भाटियान) तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		1– राजेश उर्फ संजय बूब पुत्र गंगाविशन जाति माहेश्वरी निवासी मथानिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 2– पुखराज पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 3– चैनाराम पुत्र माणकराम जाति माली निवासी मथानिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 4– शांति देवी पत्नी भीकमचंद जैन निवासी मथानिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 5– सम्मु पुत्री स्व0 हरदेवराम 6– गट्टु पुत्री स्व0 हरदेवराम 7– वरजु पत्नी स्व0 हरदेवराम 8– रमेश पुत्र स्व0 हरदेवराम 9– ओमाराम पुत्र स्व0 हरदेवराम रेस्पो0 संख्या 6 से 9 निवासीगण चौपासनी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–3–2019 जिसे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 247/2016 अनवान राजेश उर्फ संजय वगैरा बनाम लिखमाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चैन सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 24–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान अपीलांटगण को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि ग्राम सिन्धियो की ढाणी तहसील तिंवरी के खसरा नंबर 253/2 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि आई हुई है तथा उक्त भूमि के पश्चिम दिशा मे खसरा नंबर

समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की भूमि के सीमांकन बाबत एक आवेदन पत्र तहसीलदार तिंवरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार तिंवरी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के सीमांकन के लिए दिनांक 28–1–2016 को आदेश पारित किया साथ ही पुलिस जाब्ता हेतु भी दिनांक 25–2–2016 एवं 27–4–2016 को आदेश पारित किया जिसकी पालना मे सीमांकन टीम मौके पर पंहुचकर मोमी ट्रेस की सहायता से दिनांक 6–5–2016 को सीमांकन कार्य सम्पन्न किया तथा फर्द मौका पर उपस्थित खातेदारान व मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये परंतु सीमांकन करने के बाद अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) ने जानबूझकर सही सीमांकन के बावजुद मौके पर विवाद खडा कर रहे है जिसके निस्तारण हेतु प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 253/2 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि का पूर्व सीमांकन अनुसार टीम गठित कर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की सुनवाई एवं सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–3–2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 253/2 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा ग्राम सिन्धियो की ढाणी तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 253 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नंबर 253/3 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा ग्राम सिन्धियो की ढाणी के बाबत टीम गठित कर पूर्ण सीमांकन कार्य कर प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे यदि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई रास्ता है तो उसे मध्यनजर रखते हुए पत्थरगढी कार्य किया जाये साथ ही अप्रार्थीगण का यदि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो उसका भी फर्द मे उल्लेख करें तथा आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस इमदाद का भी आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–3–2019 से व्यथित होकर अपीलांटगण (अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण) ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13–11–2019 को वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांटगण की भूमि को रेस्पो० संख्या 1 से 4 के खसरे मे मिलाने बाबत जो आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वक्त सेटलमेंट से मूल खसरा नंबर 253 था जिसके विभाजन से खसरा नंबर 253, 253/1, 253/2 एवं 253/3 मे

विभक्त हुए तथा उनकी तरमीम भी अलग अलग हो चुकी थी परंतु रेस्पो0 संख्या 1 से 4 को लाभ पंहुचाने की नियत से आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 का खसरा नंबर 253 के पूर्वी हिस्से मे रेलवे लाईन है तथा दक्षिणी हिस्से मे अपीलांट संख्या 2 व 3 की भूमि खसरा नंबर 253/3 स्थित है । अपीलांटगण के खसरा नंबरान की भूमि के पूर्वी हिस्से मे रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का खसरा नंबर 253/2 स्थित है जिसमे से वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 4 मिलीभगत कर अपीलांटगण की भूमि को अपनी भूमि मे मिलाने के उद्देश्य से रेस्पो0गण ने तहसीलदार से मिलीभगत कर अपीलांटगण की भूमि पर जबरन गलत तरीके से सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाकर अपीलांटगण की भूमि मे से रास्ता निर्मित करवाना चाहते है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यो पर गौर किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित करवाया है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5-3-2019 को निरस्त कर पत्थरगढी की कार्यवाही को भी निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5-3-2019 को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विधिवत पक्षकारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा पक्षकारान की सहमति से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 6-5-2016 की फर्द सीमांकन रिपोर्ट की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण के खसरा नंबरान कमशः 253, 253/1, 253/2 एवं 253/3 की नक्शा लट्ठा मे अंकित तरमीम एवं मौका माप से मिलान किया गया जिसमे भिन्नता होना बताया है जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के खसरा नंबर 253/2 जिसका जमाबंदी मे रकबा 23.06 बीघा दर्ज है जबकि मौके पर रकबा 21.03 बीघा ही पाया गया इसप्रकार उक्त खसरे मे मौके पर 2.03 बीघा भूमि कम है जबकि अपीलांटगण के खसरा नंबरान 253 एवं 253/3 का रकबा जमाबंदी जो जमाबंदी मे दर्ज है परंतु उक्त खसरा नंबरान का मौके पर रकबा अधिक पाया गया है, का स्पष्ट उल्लेख किया

राजस्व अपील अधिकारी (stamp) बोधपुर

हुआ है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए विधिसम्मत तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय की पालना मे मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 7–3–2019 को पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न कर दी है जिसकी पत्थरगढी फर्द मौका दिनांक 7–3–2019 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील निष्प्रभावी हो जाने से भी खारीज योग्य है ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–3–2019 की पालना मे मौके पर गठित टीम द्वारा पत्थरगढी बाबत कार्यवाही दिनांक 7–3–19 को सम्पन्न कर दी है तो ऐसे मे उक्त अपील ही निष्प्रभावी हो चुकी है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–3–2019 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

प्रस्तुत अपील मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे ग्राम सिन्धियो की ढाणी तहसील तिंवरी के खसरा नंबर 253/2 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पो0गण) एवं अन्य खातेदारो की संयुक्तं खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि होना बताते हुए उसकी पत्थरगढी तहसीलदार तिंवरी के सीमांकन आदेश दिनांक 28–1–2016 की पालना मे सीमांकन टीम द्वारा मोमी ट्रेस की सहायता से दिनांक 6–5–2016 को सीमांकन कार्य सम्पन्न कर तैयार की गई ।

अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 व 131 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांटगण जो पडोसी खातेदार होने से उनको भी पक्षकार बनाया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) को जरिये नोटिस तलब करने पर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उन्हे सुनकर उनकी सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–3–2019 को पारित किया जाना पाया जाता है, इसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर वर्तमान अपीलांटगण के अधिवक्ता के सहमति बाबत किये गये हस्ताक्षर से होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे प्रथमदृष्टियां किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक

5–3–2019 की पालना मे मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 7–3–2019 को पत्थरगढी की कार्यवाही भी सम्पन्न कर दी है जिसकी पत्थरगढी फर्द मौका दिनांक 7–3–2019 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–3–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर